

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- पवन कुमार (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या-51/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

**बनाम्**

1. बलराज सिंह पुत्र श्री दौलतसिंह जाति यादव निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती सुजाता, ममता उर्फ माधवी, वीनीता पुत्रीयां दौलतसिंह जाति यादव निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट

::निर्णय::

दिनांक-02.12.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 16ए का मु0नं0 299/447 के किला नं0 1ता5 व 7ता21 मे सें अप्रार्थीगण के 1. 166 हैक्टर बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन किये बिना कृषि भूमि पर किला नम्बर 11,12,13,17 व 18 में दुकानों फैंक्टरियों, धर्मकांटा आदि का अवैध निर्माण किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तों की अवेहलना की है। उक्त भूमि के किला नम्बर 11,12,13, 17 व 18 में अप्रार्थीगण द्वारा पृथक-पृथक शैड, टाईल मशीने, फैंक्टरी व रिहायशी मकानात, दुकाने व धर्मकांटा आदि का अवैध निर्माण बिना संपरिवर्तन करवाये किया गया एवं अवैध रूप से बिना संपरिवर्तन करवाये विधि विरुद्ध कृत्य कर कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को नष्ट कर रहे है जबकि उक्त भूमि कृषि कार्यो के लिए आवंटित की गई है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का कभी भी कृषि कार्यो हेतु उपयोग नहीं किया है। इसलिए उक्त भूमि की व्यवस्था एवं सुव्यवस्था हेतु रिसीवर की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चूंकि उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्यो हेतु आवंटन की गई है जिसमें राज्य सरकार का हित निहित है लेकिन अप्रार्थीगण बिना संपरिवर्तन करवाये उक्त भूमि को वाणिज्यक एवं औद्योगिक उपयोग में लेकर आवंटन की शर्तों की अवेहलना कर रहे है जिससे राज्य पक्ष को आर्थिक क्षति पहुंची है ऐसी स्थिति में भी उक्त भूमि को रिसीवर किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।  
अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थीगण की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना

प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्तिया दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) में परन्तुक के अनुसरण में " किन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति तथा अनुवर्ती अन्तरितियों को सम्बन्धित भूमि (जो अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो रही हो) से उपरोक्त प्रकार से बेदखल करने के स्थान पर उसके या उनके यथास्थिति राज्य सरकार को उपधारा (4) के अधीन देय नगर सुधार कर तथा प्रीमियम अदा करने के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसा जुर्माना जो निर्धारित किया जा चुका हो देने पर उक्त भूमि को रखने और कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने की अनुमति दे सकेगी " उक्त संदर्भ में राजस्थान सरकार का आदेश भी जारी किया हुआ है जो इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की रोशनी में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त मुझ अप्रार्थीगण द्वारा चक 16ए का मु0नं0 299/447 की कृषि भूमि बाबत् खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की जा चुकी है। बंटवारा के वाद पत्र में उक्त कृषि भूमि बाबत् 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें भी 177(ए) के प्रार्थना पत्र का विवरण दर्ज किया गया था जिसका निस्तारण दिनांक 17.08.2020 को विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र मौजूदा स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आग्रह किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया तथा आग्रह किया गया कि रिसीवर नियुक्त करने की कठोर उपचार प्रदान किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन व ध्यानपूर्वक मनन किया गया। चूंकि राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर हुए निर्माण को विनियमित करने का आदेश दिनांक 11.02.2020 को प्रदत्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है।

हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष तीन बिन्दू है, जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:-

**1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:-**प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। जब राज्य सरकार के द्वारा नगर सुधार कर तथा प्रीमियम अदा करने के अतिरिक्त शास्ति के रूप में निर्धारित जुर्माना चुका देने पर उक्त भूमि को रखने और कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन में



उपयोग करने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तित करवाने का अवसर दिये गये बगैर धारा 212 आरटीएक्ट के तहत रिसीवर जैसा कठोरतम उपचार/आदेश इस स्तर पर प्रदान किया जाना एवम् रिकार्डेड खातेदार कृषक को उसके हक व अधिकार की भूमि से रिसीवर नियुक्त वंचित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि वर्णित भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदार सहकृषक है, अगर रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो संयुक्त खाता की वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य सहखातेदार कृषक विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

**2. सुविधा का संतुलन:**—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदार सहकृषक है एवं संयुक्त खाता की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार कृषक का समान रूप से अधिकार होता है। फलतः अगर रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो न केवल संयुक्त खाता की वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य सहखातेदार कृषक विपरीत रूप से प्रभावित होंगे बल्कि अप्रार्थीगण भी अपनी कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के उपयोग, उपभोग के साथ-साथ अपनी अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त कृषि भूमि के नियमन (संपरिवर्तन) करवाने के अधिकार से भी वंचित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में।

**3. अपूर्णाय क्षति:**— जहाँ तक अपूर्णाय क्षति का प्रश्न है, अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक है राज. काश्त. अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने के कारण उक्त कृषि भूमि पूर्णरूप से उपभोग एवं उपयोग करने की अधिकारिता रखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को रिसीवर किया जाता है तो अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के उपभोग एवं उपयोग से वंचित हो जावेगे, जिससे अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। फलतः न केवल अप्रार्थीगण को अपूर्णाय क्षति होगी बल्कि उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य सहखातेदार कृषक भी विपरीत रूप से प्रभावित होंगे, जो कि सहकाश्तकारान के लिए अपूर्णाय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णाय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।


उपर्युक्तानुसार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष उपस्थित तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय

क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना कतई न्यायोचित एवम् विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

**::आदेशः**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध तय किये गये है। इस आधार पर प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

  
(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अधिकांश  
अधिकांश